संख्या– /02/XXVI/2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग। देहरादून: दिनांक: 25 अगस्त, 2004

विषय:–वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक–3454– जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि का आवंटन/ स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–554/वि0अनु0–1/2004, दिनांक 30 जुलाई, 2004 एवं शासनादेश संख्या–449/ 02–वि0अनु0/2004, दिनांक 10 अगस्त, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2004–05 के लिए अनुदान–07,लेखाशीर्षक–"3454– जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी " के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों हेतु संलग्न विवरणानुसार आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नलिखित शर्तो के अन्तर्गत उल्लिखित मानक मदों के सम्मुख अंकित कुल धनराशि रूपये 26,00,000/–(रूपये छब्बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्यतन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2004–05 की नई मदो के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नही किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिविगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह वी0एम–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– उपकरण/फर्नीचर का क्रय कार्यालय/पद धारक के मानक के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर अथवा टैण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6– कम्प्यूटर आदि का क्रय ए0आई0सी0/आई0टी0 की संस्तुति अथवा उनके दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

7– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में एकमुश्त स्वीकृतियां जारी करने के पूर्व बजट मनुअल के पैरा–94 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा। यदि इसे पूरा नहीं किया जायेगा तो वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

8– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07, लेखाशीर्षक–3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी –02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी– 001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान'' की सुरांगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 532 /वि0 अनु0 /2004, दिनांक 23 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

आलोक कुमार
अपर सचिव।

संख्या– 452 (1)/02/XXVI/2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, पटेल नगर, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– समन्वयक, सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–952/02/XXVI/2004 दिनांक: 25 अगस्त, 2004 का संलग्नक।

आयोजनेत्तर

अनुदान संख्या–7	(धनराशि हजार रूपये में)
3454– जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
001–निदेशन तथा प्रशासन	
03–आर्थ एवं संख्या अधिष्ठान	
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	700
18–प्रकाशन	500
26–मशीन एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र	300
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200
44–प्रशिक्षण व्यय	300
45–अपकाश यात्रा व्यय	200
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	200
योग– (रूपये छब्बीस लाख मात्र)	26,00

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।